

**केन्द्र प्रायोजित प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) अन्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत
आवास निर्माण (Beneficiary – Led - Construction) का योजना अभिलेख**

अभिलेख सं.: 2015 – 16		लाभुक का फोटो
लाभुक पासबुक सं.:		
Name of ULB:	Financial Year :	
Project Code:	Beneficiary Code:	
UID No. :	Voter Card No. :	
Beneficiary Bank Detail:		
Name of Bank :	Branch Name :	
Account Number:	IFSC Code :	
लाभुक श्री/ श्रीमती/ सुश्री..... पिता/ पति..... लिंग.....		
उम्र..... निवासी मुहल्ला..... वार्ड सं.		

1. यह योजना प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति, झारखण्ड सरकार तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है।
2. यह योजना आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आंशिक वित्तपोषित है।
3. उपरोक्त लाभुक इस योजना की पात्रता की शर्तों को पूरा करता है। अतः श्री/ श्रीमती/ सुश्री..... पिता/ पति..... को योजना के लिए योग्य मानते हुए वित्तीय वर्ष - के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना अंतर्गत एकल गृह निर्माण की योजना स्वीकृत की जाती है। लाभुक इस योजना के अन्तर्गत अपने भूमि जो मौजा खाता सं. खसरा सं. प्लॉट सं. थाना सं. जिला में अवस्थित है, आवास का निर्माण करेगा। भूमि के दस्तावेज की छायाप्रति लाभुक द्वारा समर्पित किया गया है। उपरोक्त भूमि लाभुक का स्वयं का है एवं लाभुक के पूर्ण स्वामित्व में है। उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद नहीं है।
4. आधारभूत संरचना की स्थिति (कृप्या सही प्रकोष्ठ में ✓ करें) :

a. पेयजल :	<input type="checkbox"/> Y	<input type="checkbox"/> N	b. शौचालय :	<input type="checkbox"/> Y	<input type="checkbox"/> N	c. विद्युतीकरण :	<input type="checkbox"/> Y	<input type="checkbox"/> N
------------	----------------------------	----------------------------	-------------	----------------------------	----------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------
5. **पात्रता**
 - 5.1 योजना के अंतर्गत लाभुक परिवार में पति, पत्नी एवं अविवाहित बच्चे शामिल होंगे। जिस लाभार्थी परिवार का भारत के किसी भी भाग में अपने अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं है, वही परिवार इस सहायता को प्राप्त करने का पात्र होगा।
 - 5.2 लाभार्थी को स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु कट – ऑफ – डेट दिनांक 17-06-2015 के पूर्व उस शहरी क्षेत्र/ स्लम क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य होगा।
 - 5.3 लाभुक की स्वयं की जमीन होना अनिवार्य है।
 - 5.4 पूर्व से संचालित केन्द्र प्रायोजित आवासीय योजनाओं का लाभ लिये हुए लाभुक इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
 - 5.5 लाभुक कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी का होना चाहिए जिसकी वार्षिक आमदनी Rs. 3,00,000/- से कम होगी।

6. शर्तें:

- 6.1 लाभुक का Voter कार्ड होना अनिवार्य है।
- 6.2 लाभुक का बैंक एकाउन्ट होना अनिवार्य है।
- 6.3 लाभुक को पैतृक जिले के राजस्व पदाधिकारी से जारी आवास स्वामित्व प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा।
- 6.4 लाभुक/ लाभुक के परिवार की वार्षिक आय रु०/- (रुपया मात्र) है।
- 6.5 परिवार की विवाहित महिला के नाम से आवास आवंटित होगा। यदि परिवार में कोई महिला सदस्य मार्गदर्शिका के अनुरूप नहीं है तो, पुरुष सदस्य के नाम से आवास आवंटित किया जा सकेगा।
- 6.6 इस योजना अन्तर्गत लाभुक भूमि की उपलब्धता के आधार पर लगभग 30 वर्ग मी० Carpet Area का आवास निर्मित किया जाना है। आवास का एक नक्शा प्रारूप (Model Drawing) जो 28.42 वर्ग मी० Carpet Area का है (Annexure-I) एवं प्रारूप प्राक्कलन (Model Estimate) (Annexure-II) जो रु० 3,62,100/- (रुपया तीन लाख बासठ हजार एक सौ मात्र) का है, अभिलेख संग संलग्न है।
- 6.7 इस योजना अन्तर्गत निर्मित होने वाले आवास के लिये सरकार द्वारा लाभुक को कुल रु० 2,25,000/- (रुपया दो लाख पचीस हजार मात्र) सहायता राशि दी जायेगी।
- 6.8 लाभुक को स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु रु० 12,000/- (रुपया बारह हजार मात्र) की सहायता राशि दी जायेगी। जो लाभुक पूर्व में शौचालय निर्माण के लिये सहायता प्राप्त कर चुके होंगे उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।
- 6.9 लाभुक को योजना राशि का भुगतान लाभुक के खाते में RTGS/ DBT के द्वारा किया जायेगा। लाभुक को योजना राशि का भुगतान 4 किस्तों में (20%, 30%, 20% एवं 30%) निम्नवत् किया जायेगा :
 - 6.9.1 प्रथम किस्त का भुगतान लाभुक द्वारा नींव खुदाई के बाद दिया जायेगा। प्रथम किस्त रु० 45,000/- (रुपया पैंतालिस हजार मात्र) की राशि Plinth Level तक निर्माण हेतु देय होगी।
 - 6.9.2 द्वितीय किस्त रु० 67,500/- (रुपया सरसठ हजार पांच सौ मात्र) की राशि Plinth Level से Lintel Level तक निर्माण हेतु देय होगी।
 - 6.9.3 तृतीय किस्त रु० 45,000/- (रुपया पैंतालिस हजार मात्र) की राशि Lintel Level से Roof Level तक निर्माण हेतु देय होगी।
 - 6.9.4 चतुर्थ एवं अंतिम किस्त रु० 67,500/- (रुपया सरसठ हजार पांच सौ मात्र) की राशि आवास के Finishing कार्य हेतु देय होगी।
- 6.10 लाभुक द्वारा आवास का निर्माण कार्य योजना स्वीकृत होने की तिथि से 240 दिन (8 माह) के अन्दर पूर्ण कर लिया जायेगा।
- 6.11 आवास निर्माण का भौतिक सत्यापन एवं MIS के Up-date के पश्चात् ही प्रथम से चतुर्थ किस्त की राशि देय होगी।

6.12 लाभुक द्वारा स्वयं की धनराशि अथवा किसी अन्य निधि का उपयोग लाभुक अंशदान के रूप में करते हुए आवास निर्माण का कार्य किया जा सकता है। लाभुक आवास निर्माण में अपना अंशदान निम्नवत लगा सकता है:

6.12.1 लाभुक द्वारा आवास का निर्माण स्वयं Labour करके।

6.12.2 लाभुक के पुराने आवास को तोड़ने पर प्राप्त भवन निर्माण सामग्री जो नए आवास के निर्माण में कम आ सकता हो (यदि कुछ)।

6.12.3 लाभुक के पास पूर्व से स्वर्जित राशि का उपयोग।

6.13 आवास का निर्माण Jharkhand Building Bye-Laws के मानकों के अनुसार किया जायेगा।

6.14 लाभुक द्वारा सरकार/ निकाय से इस योजना हेतु पारित सभी निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

6.15 लाभुक द्वारा सहायता राशि प्राप्त करने के पश्चात् यदि आवास निर्माण का कार्य नहीं कराया जाता है या पूर्ण नहीं कराया जाता है इस स्थिति में निकाय लाभुक के विरुद्ध विधि सम्मत करवाई करेगी।

7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन:

7.1 लाभुक सत्यापन समिति लाभुक, लाभुक के भूमि एवं लाभुक द्वारा समर्पित दस्तावेजों का सत्यापन करेगा।

7.2 निकाय द्वारा इस योजना के अनुश्रवण हेतु एक Nodal Officer नामित किया जायेगा। जिसके निम्नलिखित दायित्व होंगे :

7.2.1 समय पर लाभुक को योजना राशि का भुगतान एवं लाभुक द्वारा समय पर निर्माण कार्य पूर्ण कराना।

7.2.2 आवास निर्माण कार्य से सम्बंधित MIS Update करना।

7.2.3 आवास निर्माण प्रारम्भ होने से पूर्ण होने तक निकाय के अभियंता या अन्य प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा समय – समय पर निर्माण का अनुश्रवण सुनिश्चित कराना।

7.1 लाभुक द्वारा उपरोक्त शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर लाभुक के आवास निर्माण की स्वीकृति रद्द कर दिया जायेगा।

7.2 भविष्य में लाभुक द्वारा दी गयी कोई भी जानकारी गलत/ छुपाया गया पाया जाता है तो निकाय द्वारा लाभुक के विरुद्ध विधि सम्मत करवाई किया जायेगा।

हस्ताक्षर

[लाभुक/ बायें हाथ का अंगूठा (पुरुष)/ दायें
हाथ का अंगूठा (महिला) का निशान]

हस्ताक्षर

(निकाय के प्राधिकृत पदाधिकारी)

लाभुक को योजना राशि के भुगतान की विवरणी:

प्रथम किस्त की भुगतान हेतु अनुशंसा (PMAY लाभुक पासबुक सत्यापन के उपरांत संलग्न)

लाभुक द्वारा निर्मित किये जा रहे आवास का स्थल भ्रमण निकाय के सम्बंधित प्राधिकृत पदाधिकारी श्री पदनाम द्वारा किया गया। आवास निर्माण कार्य की प्रगति निम्नवत है:

कार्य की स्थिति : आवास के Foundation हेतु मिट्टी खुदाई का कार्य सम्पन्न हो गया है। अतः Plinth Level तक के कार्य हेतु प्रथम किस्त की राशि रु. 45,000/- (रुपया पैंतालिस हजार मात्र) का भुगतान की स्वीकृति दी जा सकती है।

दिनांक:

हस्ताक्षर

(निकाय के प्राधिकृत पदाधिकारी)

आदेश : Accountant/ DDO लाभुक के बैंक जिसकी विवरणी निम्नवत है, में RTGS/ DBT द्वारा रु. 45,000/- (रुपया पैंतालिस हजार मात्र) स्थानांतरित करें:

Name of Bank :

Branch Name :

Account Number:

IFSC Code :

दिनांक:

हस्ताक्षर

(नगर आयुक्त/ अपर नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी/ विशेष पदाधिकारी)

आदेश का अनुपालन : आदेशानुसार लाभुक के बैंक खाते में उपरोक्त बैंक विवरणी के अनुसार रु. 45,000/- (रुपया पैंतालिस हजार मात्र) RTGS/ DBT द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया।

RTGS/ DBT Detail :

दिनांक:

दिनांक:

हस्ताक्षर

(Accountant/ DDO)

Updated Photograph of Dwelling Unit

द्वितीय किस्त की भुगतान हेतु अनुशंसा (PMAY लाभुक पासबुक सत्यापन के उपरांत संलग्न)

लाभुक द्वारा निर्मित किये जा रहे आवास का स्थल भ्रमण निकाय के सम्बंधित प्राधिकृत पदाधिकारी श्री पदनाम द्वारा किया गया। आवास निर्माण कार्य की प्रगति निम्नवत है:

कार्य की स्थिति : लाभुक द्वारा आवास का Plinth Level तक का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। Plinth Level से Lintel Level तक के निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किस्त की राशि रु. 67,500/- (रुपया सरसठ हजार पांच सौ मात्र) का भुगतान की स्वीकृति दी जा सकती है।

दिनांक:

हस्ताक्षर

(निकाय के प्राधिकृत पदाधिकारी)

आदेश : Accountant/ DDO लाभुक के बैंक जिसकी विवरणी निम्नवत है, में RTGS/ DBT द्वारा रु. 67,500/- (रुपया सरसठ हजार पांच सौ मात्र) स्थानांतरित करें:

Name of Bank :

Branch Name :

Account Number:

IFSC Code :

दिनांक:

हस्ताक्षर

(नगर आयुक्त/ अपर नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी/ विशेष पदाधिकारी)

आदेश का अनुपालन : आदेशानुसार लाभुक के बैंक खाते में उपरोक्त बैंक विवरणी के अनुसार रु. 67,500/- (रुपया सरसठ हजार पांच सौ मात्र) RTGS/ DBT द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया।

RTGS/ DBT Detail :

दिनांक:

दिनांक:

हस्ताक्षर

(Accountant/ DDO)

Updated Photograph of Dwelling Unit

तृतीय किस्त की भुगतान हेतु अनुशंसा (PMAY लाभुक पासबुक सत्यापन के उपरांत संलग्न)

लाभुक द्वारा निर्मित किये जा रहे आवास का स्थल भ्रमण निकाय के सम्बंधित प्राधिकृत पदाधिकारी श्री पदनाम द्वारा किया गया। आवास निर्माण कार्य की प्रगति निम्नवत है:

कार्य की स्थिति : लाभुक द्वारा Lintel Level तक का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अतः Lintel Level से Roof Level तक के निर्माण कार्य हेतु तृतीय किस्त की राशि रु. 45,000/- (रुपया पैंतालिस हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति दी जा सकती है।

दिनांक:

हस्ताक्षर

(निकाय के प्राधिकृत पदाधिकारी)

आदेश : Accountant/ DDO लाभुक के बैंक जिसकी विवरणी निम्नवत है, में RTGS/ DBT द्वारा रु. 45,000/- (रुपया पैंतालिस हजार मात्र) स्थानांतरित करें:

Name of Bank :

Branch Name :

Account Number:

IFSC Code :

दिनांक:

हस्ताक्षर

(नगर आयुक्त/ अपर नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी/ विशेष पदाधिकारी)

आदेश का अनुपालन : आदेशानुसार लाभुक के बैंक खाते में उपरोक्त बैंक विवरणी के अनुसार रु. 45,000/- (रुपया पैंतालिस हजार मात्र) RTGS/ DBT द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया।

RTGS/ DBT Detail :

दिनांक:

दिनांक:

हस्ताक्षर

(Accountant/ DDO)

Updated Photograph of Dwelling Unit

चतुर्थ - सह - अंतिम किस्त की भुगतान हेतु अनुशंसा (PMAY लाभुक पासबुक सत्यापन के उपरांत संलग्न)

लाभुक द्वारा निर्मित किये जा रहे आवास का स्थल भ्रमण निकाय के सम्बंधित प्राधिकृत पदाधिकारी श्री पदनाम द्वारा किया गया। आवास निर्माण कार्य की प्रगति निम्नवत है:

कार्य की स्थिति : लाभुक द्वारा Roof Level तक का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अतः निर्माणाधीन आवास के Finishing कार्य हेतु चतुर्थ - सह - अंतिम किस्त की राशि रु. 67,500/- (रुपया सरसठ हजार पांच सौ मात्र) का भुगतान की स्वीकृति दी जा सकती है।

दिनांक:

हस्ताक्षर

(निकाय के प्राधिकृत पदाधिकारी)

आदेश : Accountant/ DDO लाभुक के बैंक जिसकी विवरणी निम्नवत है में RTGS/ DBT द्वारा रु. 67,500/- (रुपया सरसठ हजार पांच सौ मात्र) स्थानांतरित करें:

Name of Bank :

Branch Name :

Account Number:

IFSC Code :

दिनांक:

हस्ताक्षर

(नगर आयुक्त/ अपर नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी/ विशेष पदाधिकारी)

आदेश का अनुपालन : आदेशानुसार लाभुक के बैंक खाते में उपरोक्त बैंक विवरणी के अनुसार रु. 67,500/- (रुपया सरसठ हजार पांच सौ मात्र) RTGS/ DBT द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया।

RTGS/ DBT Detail :

दिनांक:

दिनांक:

हस्ताक्षर

(Accountant/ DDO)

Updated Photograph of Dwelling Unit

योजना – सह – आवास पूर्ण प्रमाण पत्र (PMAY लाभुक पासबुक सत्यापन के उपरांत संलग्न)

लाभुक द्वारा निर्मित किये जा रहे आवास का स्थल भ्रमण निकाय के सम्बंधित प्राधिकृत पदाधिकारी श्री पदनाम द्वारा किया गया। आवास निर्माण कार्य की प्रगति निम्नवत है:

कार्य की स्थिति : लाभुक द्वारा आवास का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। लाभुक द्वारा निर्मित आवास में पानी, बिजली, शौचालय आदि की सुविधा उपलब्ध है। अतः लाभुक को नव – निर्मित आवास में आवासित होने की स्वीकृति दी जा सकती है। लाभुक को आवास निर्माण पूर्ण होने का प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है।

दिनांक:

हस्ताक्षर

(निकाय के प्राधिकृत पदाधिकारी)

आदेश : लेखापाल/ सम्बंधित कर्मी लाभुक द्वारा आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है अतः लाभुक को नव – निर्मित आवास में आवासित होने के लिए लाभुक को आवास निर्माण – सह – योजना पूर्ण होने का प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रमाण पत्र के साथ संचिका अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करें।

दिनांक:

हस्ताक्षर

(नगर आयुक्त/ अपर नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी/ विशेष पदाधिकारी)

आदेश का अनुपालन : आदेशानुसार लाभुक को आवास निर्माण – सह – योजना पूर्ण होने का प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया।

पत्रांक :

दिनांक:

दिनांक:

हस्ताक्षर

(लेखापाल/ सम्बंधित कर्मी)

Photograph of Completed Dwelling Unit

वचनबंध (Undertaking)

1. मैं वचन देता हूँ कि उपरोक्त सभी विवरण सत्य है।
2. लाभुक या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा पूर्व में केन्द्र/ राज्य प्रायोजित किसी भी आवासीय योजना का लाभ नहीं लिया गया है।
3. लाभुक द्वारा आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज निकाय में समर्पित किये गये हैं:
 - क) लाभुक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पूरे भारत में पक्का मकान नहीं होने के साक्ष्य हेतु से निर्गत दस्तावेज।
 - ख) लाभुक या उसके परिवार की वार्षिक आय के साक्ष्य हेतु से निर्गत दस्तावेज।
 - ग) लाभुक का पहचान पत्र।
4. मैंने स्वेच्छा से योजना अन्तर्गत आवास बनाने के लिए आवेदन दिया था। मैं स्वेच्छा से लाभुक चयनित होने एवं सत्यापित होने के पश्चात् योजना अभिलेख में हस्ताक्षर किया एवं स्वेच्छा से आवास का निर्माण कर रहा/ रही हूँ।
5. मैं Jharkhand Building Bye-Laws के मानको के अनुसार आवास का निर्माण करूँगा/ करूँगी।
6. मैं आवास की बिक्री/ दान/ बंधक/ पट्टा/ किराया पर नहीं दूँगा/ दूँगी।
7. उक्त योजनान्तर्गत प्राप्त राशि से आवासीय इकाई का निर्माण नहीं कराये जाने की स्थिति में निकाय से प्राप्त राशि को एक मुस्त लौटा दूँगा/ दूँगी।
8. मैं विवादित/ दूसरे की भूमि/ न्यायालय द्वारा रोक लगायी हुई भूमि पर निर्माण नहीं करूँगा/ करूँगी।
9. मैं आवास निर्माण हेतु सरकारी सहायता राशि के बाद निर्माण कार्य में होने वाले अतिरिक्त खर्च का वाहन स्वयं करूँगा/ करूँगी।
10. एकरारनामा में वर्णित सभी शर्तों का पालन करूँगा/ करूँगी। शर्तों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में एकरारनामा रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

दिनांक:

लाभुक का हस्ताक्षर